न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या – 20/2020

उनवान

1. अकबर पुत्र गवर खा जाति मुसलमान निवासी चौथिया

बनाम

1. मीर मोहम्द पुत्र लाल मोहम्मद
2. दिलशाह अली पुत्र लाल मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी चौथिया
3. तहसीलदार रामसर।

राजस्व आवेदन संख्या 20/2020 अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:–निर्णय:–

दिनांक :– 21.11.2024

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया कि कि मौजा चौथिया पटवार मण्डल सियाणी तहसील रामसर के खसरा संख्या 114/10 में प्रार्थी को कृषि जोत में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही है। राजस्व रिकार्ड में कटान मार्ग दर्ज नही होने के कारण प्रार्थी को आवागमन की विकट समस्या का सामना लगातार करना पड़ रहा है। प्रार्थी ने विप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 की खातेदारी खेत खसरा संख्या 115/10 रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा में से 00.05 बिस्वा भूमि जिसमें में से प्रचलित मार्ग को राजस्व रिकार्ड में धारा 251 ए के तहत गैर मूमकीन रास्ता दर्ज किया जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। विप्रार्थीगण उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर जवाब का अवसर बंद किया गया। तहसीलदार रामसर से लम्बे समय से रिपोर्ट प्राप्त नही होने से न्यायालय द्वारा मौका देखा गया। मौके पर एक (बारहमासी रास्ता) चल रहा है परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शें में रास्ते का अंकन नही है। प्रस्तावित मोके पर स्थायी रूप से चल रहे कदीमी/बारहमासी रास्ता जो हर मौसम/ऋतु के अनुसार बदलता नही है एवं वर्ष भर आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध रहता है जो वर्तमान में चालु है तथा प्रस्तावित भूमि वर्तमान में भी रास्ते हेतु उपयोग हेतु ली जा रही है।

अतः संलग्न नक्शें में A से B तक निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थायी रास्ता संबधित खातेदार की खातेदारी रखते हुये नक्शें व जमाबंदी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जाकर संलग्न नक्शें में A से B तक रास्ते के रकबे 00.05 बिस्वा सहित किस्म गेर मुमकीन रास्ता दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते है।

तहसीलदार रामसर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कर पालना से अवगत करावे।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी रामसर
दिनांक :21.11.2024

कमांक : रीडर/2024/3655-57

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार रामसर
2. पटवारी हल्का सियाणी।
3. प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी रामसर